DEPARTMENT OF EDUCATION

B S N V P G COLLEGE

Charbagh, Lucknow

B A SEM- (II)

PAPER-II (History of Indian Education;post independence)

Name of the Teacher- Manjul Trivedi

unit-(III) Lecture -3 **Reading time-50 min.**

बी एस एन वी पी जी कॉलेज (मंजुल त्रिवेदी)

इस लिखित लेक्चर के माध्यम से हम-

1- व्यवसायीकरण के प्रत्यय को समझ सकेंगे
2- माध्यमिक शिक्षा में व्यवसायीकरण की स्थिति जान सकेंगे
3- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को समझ सकेंगे

माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण

शिक्षा के व्यवसायीकरण का प्रत्यय कोई नवीन प्रत्यय नहीं है ब्रिटिश शासन के दौरान यह प्रश्न अनेक समितियों तथा आयोगों ने उठाया था। स्वतंत्र भारत में भी माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952- 53 ने तथा शिक्षा आयोग 1964-66 ने भी शिक्षा के व्यवसायीकरण की समस्या पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए अनेक सुझाव दिए थे। वास्तव में हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करने में पूर्णतया सफल सिद्ध नहीं हुई है। यह व्यक्ति के

जीवन के लिए तैयार करने तथा राष्ट्रीय उत्पादन में अपेक्षित भूमिका नहीं निभा पाई है। इसी कमी को ध्यान में रखकर शिक्षा के व्यवसायीकरण की मांग की जाती रही है। माध्यमिक स्तर की शिक्षा को व्यवसायीकृत बनाने पर विशेष बल दिया जाता रहा है। व्यवसायीकरण से अभिप्राय व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करने से है। आर्थिक व सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों से संबंधित व्यवसाय के लिए आवश्यक तकनीकों का ज्ञान प्रदान करना तथा विभिन्न कौशलों को व्यावहारिक रूप से सीखना ही शिक्षा का व्यवसायीकरण है। शिक्षा के व्यवसायीकरण का अर्थ व व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करने तक सीमित नहीं है वरन व्यवसायिक शिक्षा की सहायता से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है। शिक्षा के व्यवसायीकरण के लिए सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रमों में व्यवसाई ज्ञान, कौशल, तकनीकों को सम्मिलित करना होगा जिससे छात्र अपना अध्ययन पूरा करके जीविकोपार्जन में सक्षम हो सके। व्यवसायिक शिक्षा व्यक्ति को जीवन के लिए तैयार कर सकेगी जिससे शिक्षा तथा जीवन में संबंध स्थापित हो सकेगा साथ ही शिक्षा जीवन उपयोगी सिद्ध हो सकेगी।

शिक्षा आयोग 1964-66 में शिक्षा के व्यवसायीकरण की संकल्पना निहित है। माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के संबंध में चर्चा करते हुए समिति ने भी कहा कि कक्षा 10 की सामान्य शिक्षा के उपरांत शिक्षा की दो धाराएं हो जाएं सामान्य धारा तथा व्यवसायिक शिक्षा धारा। समिति ने आगे कहा कि व्यवसायिक शिक्षा धारा में छात्रों को तकनीकी संबंधित, विज्ञान, प्रयोगात्मक कार्य का अध्ययन करके किसी को सीखना होगा। इस प्रकार की शिक्षा आईटीआई, तकनीकी हाई स्कूलों या कृषि व औद्योगिक पॉलिटेक्निक में प्रदान की जाने वाली तकनीकी या व्यवसायिक शिक्षा से भिन्न होगी जहां शिल्पी, तकनीशियन या प्रसार एजेंटों के लिए आवश्यक कौशलों के निश्चित स्तर पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

यूनेस्को ने व्यवसायीकरण की परिभाषा देते हुए कहा की एक ऐसा सर्वसमावेशी शब्द जिसमें शिक्षा प्रक्रिया के सामान्य शिक्षा सहित वे सभी पहलू समाहित हैं जो प्रौद्योगिकी और तत्संबंधित सभी विज्ञान विषयों के अध्ययन से जुड़े हुए हैं। आर्थिक और सामाजिक जीवन के विविध क्षेत्रों के व्यवसायों से संबंधित ज्ञान, व्यवहार, गतिक कौशलों का अर्जन, अभिवृत्तिया और समझ भी व्यवसायीकरण प्रक्रिया के अंग है। यूनेस्को ने व्यवसायिक शिक्षा के बारे में इस तरह से कहा है-काम और सक्रिय जीवन में तत्पर करने वाला शिक्षा-कर्म। युवकों को किसी व्यापार या व्यवसाय विशेष का प्रशिक्षण देकर उस में प्रवृत्त करना ही इस प्रकार की शिक्षा का लक्ष्य नहीं होना चाहिए उसका लक्ष्य तो यह भी होना चाहिए कि वह उन्हें स्वयं को कई प्रकार के कामों के

अनुकूल ढाल सकने का सामर्थ्य प्रदान करें और उनकी क्षमताओं में निरंतर वृद्धि करता रहे ताकि वे उत्पादन के विकसित होते जा रहे तरीकों और कार्य स्थितियों के साथ कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ सकें।

माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण की उपयोगिता को इससे होने वाले लाभों की सहायता से आंका जा सकता है। व्यवसायिक शिक्षा रोजगार की क्षमता को विकसित करने में सक्षम है कृषि तथा घरेलू उद्योग धंधों से संबंधित व्यवसायों को व्यवसायिक शिक्षा व्यवस्था में सम्मिलित करके ग्रामीण परिवेश में रोजगार के व्यापक अवसर खोजे जा सकते हैं। छात्र माध्यमिक शिक्षा पूरी करके आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी बन सकेंगे तथा बेरोजगारी का शिकार नहीं होंगे। व्यवसाय में उत्पादन क्षमता का पूर्ण विकास यह शिक्षा करेगी। व्यक्ति अपने संसाधनों का समुचित ढंग से उपयोग करना सीखेगा इससे उत्पादन में वृद्धि होगी तथा राष्ट्र के आर्थिक विकास को गति मिलेगी क्योंकि व्यवसायीकरण शिक्षा में छात्र करके सीखेंगे इसलिए उन्हें शारीरिक श्रम करने की आदत तथा श्रम के प्रति निष्ठा व आदर की भावना विकसित होगी। स्पष्ट है कि व्यवसाईकृत शिक्षा के लाभों को कम करके नहीं आंका जा सकता है। माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण करना वर्तमान समय की एक आवश्यकता है तथा इसके लिए शीघ्र अतिशीघ्र कुछ ठोस कार्य किया जाना चाहिए।

+2 स्तर पर शिक्षा के व्यवसायीकरण के उद्देश्य-

इस स्तर पर शिक्षा के व्यवसायीकरण के निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य हैं-

1-ग्रामीण विकास तथा बेरोजगारी व निर्धनता के उन्मूलन के राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता प्रदान करना

2-श्रम के प्रति निष्ठा तथा सामाजिक बदलाव लाना।

3-उत्पादकता राष्ट्रीय विकास तथा व्यक्तिगत समृद्धि की प्राप्ति के लिए शिक्षा प्रदान करना और उभरते हुए नए नए औद्योगिक क्षेत्रों के लिए मध्यम स्तर की जनशक्ति तैयार करना।

4-छात्रों के एक बड़े वर्ग को विभिन्न व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में भेजना।

5--स्वरोजगार के लिए छात्रों को तैयार करना।

+2 स्तर पर मुख्य व्यावसायिक क्षेत्र

1-कृषि

फसल विज्ञान, डेरी फार्म, मुर्गी पालन, मछली पालन, फल संरक्षण, कृषि,यांत्रिक उर्वरक कीटाणु नाशक, दवाइयां, कृषि अर्थशास्त्र, कृषि आधारित उद्योग, भूमि संरक्षण।

2- वाणिज्य-

कार्यालय प्रबंध, लेखा पालन, कर कानून, स्टोरकीपिंग, बीमा, आयात निर्यात, टंकण।

3-गृह विज्ञान-

आहार संरक्षण,पोषण, कैंटीन प्रबंध, बेकरी, कुकरी, कन्फेक्शनरी,ड्रेसडिजाइनिंग, सिलाई कढ़ाई, बाल विकास व परिवार परिषद या आंतरिक सज्जा, शिशु शिक्षा, गृह प्रबंध।

4-पैरा मेडिकल-

फार्मेसी, एक्सरे, बहु उपयोगी स्वास्थ्य सेवा, दंत चिकित्सा, नर्सिंग, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य शिक्षा।

5-तकनीकी-

सर्वेक्षण, जलापूर्ति, सफाई सेवा, घरेलू उपकरण, ग्रामीण तकनीकी, स्कूटर कार-सुधार, घड़ी सुधार।

6-अन्य-

फोटोग्राफी, चित्रकला, मुद्रण कला, नृत्य संगीत, पुस्तकालय सेवा, टूरिस्ट गाइड, ब्यूटीशियन, वकील सहायक।

शिक्षा के व्यवसायीकरण के गुण

बी एस एन वी पी जी कॉलेज (मंजुल त्रिवेदी)

1-शिक्षा का उत्पादकता से संबंध

2-लोगों को आजीविका के लिए तैयार करना

3- रोजगार के अवसर

4- भौतिक क्षितिज का विस्तार

5-श्रम का महत्व

6-देश के भौतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग।

माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण की योजना

माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण की केंद्र प्रायोजित योजना में विभिन्न शिक्षा अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था है, ताकि किसी व्यक्ति की रोजगार के लायक क्षमता को बढ़ाया जा सके और कुशल जनशक्ति की मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को कम किया जा सके। यह योजना उच्च शिक्षा प्राप्त करने वालों के लिए एक विकल्प उपलब्ध कराती है। यह योजना 1988 में लागू की गई थी। योजना में सुधार के लिए संशोधित योजना को 15 सितंबर, 2011 को मंजूरी दी गई थी। संशोधित योजना का उद्देश्य देश में व्यावसायिक शिक्षा की मान्यता को बढ़ाना, योजना बनाने और उसे लागू करने में उद्योगों के साथ तालमेल रखना, अनुपयुक्त पाठ्यक्रमों तथा व्यावसायिक शिक्षा के प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी की समस्या पर ध्यान देना था। इसमें यह भी पाया गया है कि माध्यमिकस्तर पर व्यावसायिक शिक्षा के सशक्तिकरण से 2022 तक 50 करोड़ कुशल कर्मियों के राष्ट्रीयलक्ष्य को पूरा करने में मदद मिलेगी।

इस योजना में राज्यों को प्रशासनिक ढांचा खड़ा करने, क्षेत्र व्यावसायिक सर्वेक्षण करने, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें, अभ्यासपुस्तकें, पाठ्यक्रम गाइड, प्रशिक्षण संबंधी मैनअल और शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने तथा अनुसंधान और विकास, प्रशिक्षण और मूल्यांकन आदि के लिए तकनीकी सहायता प्रणाली को मजबूत करने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता दिये जाने की व्यवस्था है।

बी.एस.एम. पी.जी. कॉलेज (मंजुल त्रिवेदी)

इस योजना के अंतर्गत 9,619 स्कूलों में 21 हजार कक्षाओं के लिए बुनियादी ढांचा तैयार किया जा चुका है और बाहरवीं कक्षा के स्तर के लिए लगभग 10 लाख छात्रों के लिए सुवधिा की व्यवस्था की गई है। योजना शुरू होने से अब तक 765 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जा चुका है।

राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क

मानव संसाधन विकास मंत्रालय माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर और बाद में उच्च शिक्षा के स्तर पर कम हाजिरी और पढ़ाई छोड़ जाने वाले छात्रों की समस्या से चिंतित है। मंत्रालय इस समय राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क प्रक्रिया विकसित कर रहा है। इस फ्रेमवर्क से प्रस्तावित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के मानदंडों में एकरूपता आयेगी। इसके लिए कार्यक्रमों तथा संस्थाओं की व्यावसायिक शिक्षा योग्यता और प्रत्यायन का पंजीकरण होगा। इस फ्रेमवर्क के मानदंड माध्यमिक और उच्चस्तर माध्यमिक स्कूलों, पोलीटेक्निको, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में लागू किये जायेंगे। राज्य सरकारों तथा राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के समूह के साथ परामर्श के बाद राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क की रूपरेखा तैयार कर ली गई है।

<u>राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान</u>

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान भारत सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है जो मार्च, 2009 में माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने और इसकी गुणवत्ता में सुधार के लिए शुरू की गई। इस योजना का कार्यान्वयन 2009-10 में मानव जनशक्ति सृजित करने तथा वृद्धि और विकास तथा समानता को तेज करने हेतु पर्याप्त स्थितियां उपलब्ध कराने के साथ साथ भारत में सभी-को गुणवत्तायुक्त जीवन देने के लिए आरंभ हुआ। एसएसए की व्यापक सफलता को देखते हुए और एसएसए की तरह आरएमएसए बहुपक्षीय संगठनों, गैरसरकारी संगठनों-, सलाहकारों तथा परामर्शदाताओं, अनुसंधान एजेंसियों तथा संस्थाओं सहित अधिकांश स्टेकहोल्डरों से लाभप्रद सहायता लेता है। योजना में बहुआयामी अनुसंधान, तकनीकी परामर्श, कार्यान्वयन तथा निधियन सहयोग शामिल है।

उद्देश्य

1. इस योजना में 2005-06 में 52.26% की तुलना में अपने कार्यान्वयन के पांच वर्ष के भीतर किसी भी बस्ती से उपयुक्त दूरी पर एक माध्यमिक स्कूल उपलब्ध कराकर कक्षा IX-X के लिए 75% का सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने पर ध्यान दिया गया है।
2. सभी माध्यमिक स्कूलों को निर्धारित मानदंडों के अनुरूप बनाकर माध्यमिक स्तर पर दी जा रही शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना।
3. लैंगिक, सामाजार्थिक तथा निशक्तता बाधाएं हटाना।:
4. वर्ष 2017 अर्थात् 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक माध्यमिक स्तर शिक्षा तक व्यापक पहुंच।
5. वर्ष 2020 तक छात्रों को स्कूल में बनाए रखने में वृद्धि और उसका सर्वसुलभीकरण।

माध्यमिक शिक्षा को सर्वसुलभ तथा गुणवत्तापरक बनाने की दिशा में उक्त कार्यक्रम के माध्यम से विशेष कार्य किया गया है

बी एस एन वी पीजी कॉलेज (मंजुल द्विवेदी)